भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1533

दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

2025 तक सभी के लिए विद्युत

1533. श्री मुकेश राजपूत:
श्री विजय बघेल:
श्री बिप्लब कुमार देब:
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:
सुश्री बाँसुरी स्वराज:
श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:
श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025 तक "सभी को चौबीसों घंटे सातों दिन विद्युत" आपूर्ति कराने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के क्या क्या संघटक हैं;

(ख) क्या सरकार का विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का विचार है जिसमें कोयला, जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और राजस्थान के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों, जहां पारेषण अवसंरचना कम विकसित है, में चौबीसों घंटे सातों दिन विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 462 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 230 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता की ओर परिवर्तित हो गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014 से अब तक 2,00,168 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 7,66,859 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता की वृद्धि की गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट अंतरित करने की क्षमता प्राप्त हुई है।

विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी को सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करनी होगी। हालाँकि, आयोग कृषि जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे विनिर्दिष्ट कर सकता है।

भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है। इन स्कीमों के तहत विद्युत वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं। डीडीयूजीजेवाई के तहत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और सौभाग्य के दौरान 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से टिकाऊ और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत वितरण यूटिलिटी के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

भारत सरकार आरडीएसएस की चल रही स्कीम के अंतर्गत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहयोग दे रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी अभिचिन्हित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत आदिवासी घरों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए मंजूरी दी जा रही है। अब तक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और त्रिपुरा सहित सभी राज्यों में पीएम-जनमन के तहत अभिचिह्नित पीवीटीजी घरों और डीए-जेजीयूए के तहत अभिचिह्नित आदिवासी घरों सहित 9,97,680 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,535 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर है।

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत कार्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत वितरण अवसंरचना के विस्तार के लिए 1,067 करोड़ रुपये की परियोजनाएं भी शामिल हैं।

इसके अलावा, नई सौर विद्युत स्कीम के तहत 9,961 घरों के ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे क्रमशः 21.9 घंटे और 23.4 घंटे तक सुधर गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने सभी के लिए चौबीसों घंटे विद्युत सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं::

1. **उत्पादन योजना**:

(i) वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों- कोयला, लिग्नाइट आदि, नवीकरणीय स्रोतों- सौर, पवन और जलविद्युत से प्राप्त क्षमता शामिल है।

(ii) उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10 वर्षीय रोलिंग योजनाएँ हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद योजना भी शामिल है।

(iii) सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई।

(iv) विद्युत उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम की शुरूआत की है:

(क). विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के परामर्श से वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट की तापीय क्षमता जोड़ने की योजना की परिकल्पना की है। इस लक्ष्य के निमित्त, 28,020 मेगावाट तापीय क्षमता पहले से ही निर्माणाधीन है और वित्त वर्ष 2024-25 में 19,200 मेगावाट तापीय क्षमता के लिए कान्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं। इसके अलावा, 36,320 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है जो देश में योजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख). 13,997.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएँ, 8,000 मेगावाट पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं और 24,225.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएँ और 50,760 मेगावाट की पीएसपी नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग). 7,300 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता नियोजन और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ). 84,190 मेगावाट सौर, 26,200 मेगावाट पवन और 36,330 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 147,160 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 50,830 मेगावाट सौर, 600 मेगावाट पवन और 27,840 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 79,270 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमता नियोजन के विभिन्न चरणों में है और इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ). 522.60 मेगावाट क्षमता की छह (06) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 14,242.29 मेगावाट क्षमता की 45 बीईएसएस परियोजनाएं नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं।

2. **पारेषण योजना**: अंतर-राज्यीय और अंत: राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता अभिवर्धन के अनुरूप समय-सीमा में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

3. **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन:**

(i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बोलियां जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्टरी जारी की है।

(ii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

(iii) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु दिसंबर, 2030 तक हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए और दिसंबर,

2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।

(iv) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की रूपरेखा अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी अभिनामित उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य आरसीओ का अनुपालन न करने पर शास्तियां लगाई जाएगी।

(v) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म और डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(vi) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

(vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।

(viii) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करने को वित्त पोषित किया गया है।

(ix) वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट बोली ट्रैजेक्टरी और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यवसाय मॉडल को दर्शाते हुए "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है।

(x) अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टा अनुदान को विनियमित करने के लिए विदेश मंत्रालय की 19 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को अधिसूचित किया गया है।

(xi) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट (जीडब्ल्यू) स्केल की विनिर्माण क्षमता प्राप्त होगी।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1533

अनुबंध-I

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत घरों की संख्या
क.	**अतिरिक्त घर**		
1	राजस्थान	**459**	**1,90,959**
2	मेघालय	**436**	**50,501**
3	मिजोरम	**80**	**15,167**
4	नागालैंड	**70**	**10,004**
5	उत्तर प्रदेश	**931**	**2,51,487**
6	आंध्र प्रदेश	**49**	**15,475**
7	झारखंड	**7**	**872**
8	जम्मू एवं कश्मीर	**77**	**10,730**
9	बिहार	**299**	**42,584**
10	असम	**786**	**1,27,111**
11	अरुणाचल प्रदेश	**55**	**8,453**
12	मणिपुर	**214**	**36,972**
13	**छत्तीसगढ़**	**317**	**63,161**
	कुल (क)	**3,780**	**8,23,476**
ख.	**वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत**		
1	हिमाचल प्रदेश*	**6**	**-**
2	अरुणाचल प्रदेश	**20**	**1,683**
3	उत्तराखंड	**13**	**1,154**
	कुल (ख)	**39**	**2,837**
ग.	**प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत**		
ग1	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत**		
1	आंध्र प्रदेश	**89**	**25,054**
2	बिहार	**0.28**	**51**
3	**छत्तीसगढ़**	**38**	**7,077**
4	झारखंड	**74**	**12,442**
5	मध्य प्रदेश	**143**	**29,290**
6	महाराष्ट्र	**27**	**8,556**
7	**राजस्थान**	**40**	**17,633**
8	कर्नाटक	**4**	**1,615**
9	केरल	**1**	**345**
10	तमिलनाडु	**30**	**10,673**
11	तेलंगाना	**7**	**3,884**
12	**त्रिपुरा**	**62**	**11,664**
13	उत्तराखंड	**1**	**669**
14	उत्तर प्रदेश	**1**	**316**

	उप जोड़(ग1)	**516**	**1,29,269**
ग2	**राज्य योजना के तहत**		
1	गुजरात	**0**	**0**
2	ओडिशा	**0**	**0**
3	पश्चिम बंगाल	**0**	**0**
	उप जोड़(ग2)	**0**	**0**
	कुल (ग=ग1+ग2)	**516**	**1,29,269**
घ.	**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत**		
1	**छत्तीसगढ़**	**12**	**2,550**
2	महाराष्ट्र	**2**	**480**
3	**त्रिपुरा**	**43**	**8,189**
4	कर्नाटक	**31**	**3,682**
5	तेलंगाना	**112**	**27,197**
	कुल (घ)	**200**	**42,098**
	महा योग (क+ख+ग+घ)	**4,535**	**9,97,680**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1533

अनुबंध-II

नई सौर विद्युत स्कीम के तहत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरेलू विद्युतीकरण को संस्वीकृति दी गई

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत घरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	**1,675**
2.	छत्तीसगढ़	**1,578**
3.	झारखंड	**2,342**
4.	मध्य प्रदेश	**2,060**
5.	कर्नाटक	**179**
6.	केरल	**98**
7.	तेलंगाना	**326**
8.	त्रिपुरा	**1,703**
कुल		**9,961**

****